

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 2299 /XXV-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक 04 सितम्बर, 2017

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-23973/2017 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० सूचना आयोग के पत्र संख्या 8527 / उ.सू.आ./अपील/2016-17 दिनांक 04 अगस्त, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सम्बन्ध में अपील संख्या A(D)-23973/2017 पर मा० सूचना आयोग महोदय द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2017 को अपील की सुनवाई की गयी जिसमें मा० मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा उक्त अपील सुनवाई के दौरान निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी श्री जे०एन० जोशी को सन्दर्भित बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध करवा दें।

2. उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 2202 दिनांक 08 अगस्त, 2017 द्वारा मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को पूर्व में भेजे गये शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच कर यथोचित कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया था। अपीलार्थी के उक्त शिकायत का निराकरण न होने पर उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। अपीलार्थी की उक्त शिकायत एवं सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत चाही गई सन्दर्भित सूचना एक समान है। कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, कार्मिक अनुभाग-2, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-5576 दिनांक 09 अगस्त, 2017 द्वारा इस कार्यालय को उक्त सन्दर्भित प्रकरण से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवायी गई है।

महोदय उक्त सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्र संख्या-2231 दिनांक 16 अगस्त, 2017 के द्वारा अपीलार्थी श्री जे०एन० जोशी को सन्दर्भित पर सूचना उपलब्ध करवायी गई है। महोदय सन्दर्भित उपलब्ध करवायी गई सूचना आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat
(बी० एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या ११३ /XXV-12 /2008 (P-5)

देहरादून : दिनांक 16 अगस्त, 2017

सेवा में,

श्री जे०एन० जोशी,
S.B.C.-114, यमुना कालोनी,
देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 727 दिनांक 01 फरवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके सन्दर्भ में आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील चाहने हेतु दिनांक 13 फरवरी, 2017 को पत्र प्रेषित किया गया जिसके क्रम में विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या 1304 दिनांक 27 फरवरी, 2017 के द्वारा आपको अपील संख्या 01/2017 पर सुनवाई हेतु दिनांक 08 मार्च, 2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे कार्यालय उपस्थित हेतु अवगत कराया गया। आप उक्त निर्धारित दिनांक एवं समय पर अपील सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए। उपस्थित न होने की दशा में विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र संख्या 1604 दिनांक 29 मार्च, 2017 के द्वारा आपकी प्रस्तुत अपील का निस्तारण कर लिया गया प्रति संलग्न कर पुनः प्रेषित है।

2. आपके द्वारा अपने पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2017 के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाही गयी जो इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त न होने की दशा में आपके द्वारा मा० मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड सूचना आयोग में अपील की गयी।

3. मा० मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अपील संख्या A(D) 23973/2017 पर दिनांक 03 अगस्त, 2017 को अपील निर्धारित की गई। अपील सुनवाई के दौरान मा० मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के निर्देशों के अनुपालन में आपको सन्दर्भित बिन्दु संख्या 01 से 07 तक चाही गयी सूचना एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या-166 दिनांक 11 जनवरी, 2017 के सन्दर्भ में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (कार्मिक अनुभाग-2) सिचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 5576 दिनांक 09 अगस्त, 2017 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04-सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी० एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पु संख्या 2231 / XXV-12 / 2008 (P-5) / 2008, तददिनांकित।

प्रतिलिपि सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि मा० मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून द्वारा उक्त अपीलार्थी की अपील संख्या A(D) 23973/2017 पर दिनांक 03 अगस्त, 2017 को अपील सुनवाई के दौरान जारी निर्देशों के अनुपालन में श्री जे०एन०जोशी को बिन्दु संख्या 01 से 07 तक चाही गयी सूचना के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-166 दिनांक 11 जनवरी, 2017 के सन्दर्भ में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (कार्मिक अनुभाग-2) सिचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 5576 दिनांक 09 अगस्त, 2017 की प्रति उक्तानुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

B-s. Rawat
(बी० एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

**nc*

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 271355

फैक्स न० (0135) - 2713724, 2712014

संख्या 2202/XXV-23/2016

देहरादून : दिनांक 08 अगस्त, 2017

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष),
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017- आदर्श आचार संहिता उल्लंघन आदि से संबंधित शिकायत का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या- 166 दिनांक 11 जनवरी, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 से संबंधित श्री जे०एन० जोशी, S.B.C.-119, यमुना कालोनी, देहरादून के पत्र दिनांक 08 जनवरी, 2017 की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित की गयी थी कि सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर शीघ्र जांच कराते हुए यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त वर्णित शिकायत के सन्दर्भ में आपके द्वारा आतिथि तक जांच आख्या इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार संदर्भित बिन्दुओं पर सूचना दिनांक 09 अगस्त, 2017 अपरान्ह तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मन्सू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

8/8/17
मुख्य अभियन्ता
कार्यालय प्रमुख
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रेषक,

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2),
सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

प्रेषित,

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
04-सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संख्या:- 5576 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का-2 / ई-14(श्री नौटियाल), दिनांक: 09 अगस्त 2017

विषय:-विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं आचार संहिता उल्लंघन आदि से सम्बन्धित शिकायत के प्रेषण।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 166/XXV-23/2016, दिनांक 11.01.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री जे0एन0 जोशी, एस0बी0सी0-119, यमुना कालोनी, देहरादून के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.17 की प्रति संलग्नाकों सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की गयी है कि पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर शीघ्र जांच करवाकर यथोचित कार्यवाही करने की वांछना की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में पुनः पत्र संख्या 2202/XXV-23/2016, दिनांक 08.08.17 द्वारा शिकायती पत्र पर जांच आख्या दिनांक 09.08.17 अपरान्ह तक उपलब्ध कराये जाने की वांछना की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता प्रकरण पर जांच की गयी तथा श्री पूर्णानन्द नौटियाल, प्रशासनिक अधिकारी से अपना पक्ष रखने हेतु लिखा गया, जिस पर श्री नौटियाल द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:-

1. श्री जे0एन0 जोशी के प्रार्थना पत्र पर जांच करायी गयी। जाँचोपरान्त पाया गया कि चुनाव आचार संहिता से सम्बन्धित श्री नौटियाल, प्रशासनिक अधिकारी का वर्तमान में किसी राजनैतिक पार्टी से कोई सम्बन्ध होने के प्रमाण संज्ञान में नहीं आया है तथा न ही श्री जोशी के प्रार्थना पत्र के साथ राजनैतिक सम्बन्ध होने का कोई प्रमाणक संलग्न है। उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में श्री नौटियाल, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपना प्रत्यावेदन में उल्लेख किया है कि "मैं एक राज्य कर्मचारी हूँ, मेरा किसी भी राजनैतिक दल से कोई सम्बन्ध नहीं है।
2. श्री जे0एन0 जोशी द्वारा जो संलग्नक प्रस्तुत किये गये हैं, उन पर पूर्व में भी जांच की गयी, जिसमें जाँचोपरान्त शिकायतें निराधार व असत्य पायी गयी थी। अतः सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय


(आनन्द सिंह बूजवाल)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

Rh
9-8-17

सेवामें

लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निवचन अधिकारी
04 बुगाइ रोड, सचिवालय परित
डेहपट्टन।

विषय: - सूचना अधिका अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना।
महोदय,

कृपया निम्नांकित सूचना है।

- ① प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 8/1/2017 अिकापती-पत्र पर विभिन्न अिकापतीकतीको डाटा की गई अिकापती एवं अगाचार पत्रों पर अकाधित सगाचारों का साक्ष्य प्रमाणक उपलब्ध होने पर भी सिंचाई अिकाग के कर्मचारी श्री पूरानन्द नौरियाल, सिंचाई कार्य गठल डेहपट्टन के विलुद्ध विभिन्न राजनैतिक दलों की ओर से पेशी करने स्व संलिप्तता होने पर मुख्य निवचन अधिकारी डेहपट्टन डाटाकथा कार्यवाही की गई है समस्त साक्ष्य प्रमाणकों की अतिमा अलब्ध करिए।
- ② प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र दि. 8-1-2017 पर श्री पूरानन्द नौरियाल सिंचाई कार्य गठल के राजनैतिक दलों के साक्ष्य प्रमाणक अलब्ध होने पर निवचन/ डाटा दिनांक 8-1-2017 से आज दिनांक - तक की जा रही कार्यवाही के कार्यालय टिप्पणी/अडिसे की अयाअति सहित उपलब्ध करिए।
- ③ निवचन अधिकारी/ मुख्य निवचन अधिकारी डेहपट्टन के पास ऐसा कौन सा आदेश/ नियम है जिसके अंतर्गत अिकापती के प्रमाणक उपलब्ध होने पर्यात भी श्री पूरानन्द नौरियाल सिंचाई कार्य गठल के विलुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है समूची नियम साक्ष्यों के प्रमाणक पुष्टि के का कारण कते।
- ④ निवचन अधिकारी/ मुख्य निवचन अधिकारी कार्यालय में ऐसा कौन सा नियम/ आविधान है कि - पुनाव सम्पूर्ण होने एवं - पुनाव में राजनैतिक दलों के साथ डांड-गाठ करने के पर्यात एवं - पुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक भी श्री पूरानन्द नौरियाल सिंचाई कार्य गठल को दण्डित नहीं किया जा सकता समूची साक्ष्य नियमों की अया अतिमा उपलब्ध करिए।

14/1/17
मुख्य निवचन अधिकारी
लोक सूचना अधिकारी
अकाधित सचिवालय

निवचन अधिकारी/ मुख्य निवचन अधिकारी के पास ऐसा कौन सा आलाअेय उपलब्ध है जिसके अंतर्गत भी पूरानन्द नौरियाल, सिंचाई कार्य गठल पर पुनाव प्रत्या अका साक्ष्य प्रमाणक अल होने पर भी कर्मचारी अकाग अधिनियम 2003 लागू नहीं हो सकती है साक्ष्य प्रमाणक सहित है।

3) मस्तूदास सहायक मुख्य निवचन अधिकारी के पत्रांक 166 /XXV-23/2016 दिनांक 01 जनवरी 2017 के आण प्रथी के प्राथमिक दिनांक 8-1-2017 पर श्री पूरानन्द लिखाई कार्यालय के समस्त साक्ष्य प्रमाण तथा राजनैतिक दलों के साथ साठ-गाँठ होने के पश्चात श्री जॉन्स विद्युत् का पर मुख्य अधिकारी (विभागाध्यक्ष) लिखाई विभाग को कितने समय पर जॉन्स आया प्रेषित करने हेतु आदेश दिए गये हैं तथा जॉन्स हेतु कितना समय निर्धारित है इसे जॉन्स के समस्त साक्ष्य स्वयं आयोग की दायर छविपा सम्बन्ध साक्ष्य सहित है।

7) नया निवचन पूर्ण होने के पश्चात श्री पूरानन्द लिखाई कार्यालय के प्रमुख कार्याधी के आदेश उपलब्ध है दायर छविपा उपलब्ध कराने।

समस्त 25-10-दिनांकानुसार-मदलगा।
 दिनांक 13-1-2017

अवधीपू
 (जेठ रतनजी)
 अपीलारी
 SB 1-114 यमुनाशालनी
 जेठरतन

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2713724, 2712014

संख्या 166 /XXV-23/2016

देहरादून : दिनांक 11 जनवरी, 2017

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष),
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।


विषय:- विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017-अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन आदि से संबंधित शिकायत का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको श्री जे०एन० जोशी, अपीलार्थी, S.B.C.-119, यमुना कालोनी, देहरादून के पत्र दिनांक 08 जनवरी, 2017 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित है कि प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित करने के मुझे निदेश प्राप्त हुए हैं कि संलग्न पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की शीघ्र जांच करवाकर यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,



(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
*enc

पृ० संख्या - 166 / XXV-23/2016, तददिनांक

प्रतिलिपि:- श्री जे०एन० जोशी, अपीलार्थी, S.B.C.-119, यमुना कालोनी, देहरादून को उनके वर्णित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।



(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
*enc

संवासे,

✓ मुख्य निवचन अधिकारी
उत्तराखण्ड आसन देहवाइन।

विषय: सूचना अधिका (अधिनियम - 2005) के अंतर्गत [redacted] इत्यादी
में सिंचाई विभाग के कर्मचारी श्री पूर्णानंद नौटियाल का
राजनीतिक दलों के साथ साठ-गाठ होने के कारण इन्हें
तत्काल देहवाइन मुख्यालय से हटाना/निलंबन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: - जिलाधिकारी एवं जिला निवचन अधिकारी देहवाइन का कार्यालय
पत्रांक: 481/25-74/2014 दिनांक 4 अप्रैल 2014, आदिपत्रांक अट्ट
केन्द्रीय महासंघी, का कार्यालय पत्रांक 183 दि 18-3-2014 पत्रांक
84-दि 84-2014 पत्रांक 54 दिनांक - 5-4-2014 पत्रांक 114 दि 11-4-2014
जिलाधिकारी एवं निवचन अधिकारी देहवाइन का
पत्रांक: 742 दि 27 अप्रैल 2014 तथा जारी का पत्रांक मुख्य
दिनांक 30-6-2016,

गोधेदय

कृपया उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्रों का आवलोकन करने की
कृपा करें, आवगत काला है कि दिनांक 5-1-2017 से उत्तराखण्ड राज्य
के चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है जिसके अन्तर्गत
समस्त राजकर्मियों पर लागू है।

इसी क्रम में आपको आवगत करमा है कि सिंचाई विभाग के
अंतर्गत सिंचाई कार्यालय देहवाइन कार्यालय में कार्यरत श्री पूर्णानंद
नौटियाल द्वारा पूर्व वर्षों से राजनीतिक दलों के साथ-साठ-गाठ
करते हुये विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन किया हुआ है जिन्हें
विहद प्रार्थी ने सिंचाई विभाग से विभिन्न विन्दुओं पर सूचना
अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त की गई है सम्बन्धि
कर्मचारी सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ के नाम से चलाये जा
रहे संगठन का आन्तरीय महासंघी के रूप में अनेक राजनीतिक दलों
के साथ मिलकर सलोकन देते हुये कर्मचारी आचरण नियमावली
2002 का पूर्णतप से उलंघन कर रहा है।

श्री पूर्णानंद नौटियाल, प्रार सहायक सिंचाई कार्यालय
देहवाइन के विहद पूर्व में भी कई शिकायतें प्रार्थी को सूचना अधिका
अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त हुई हैं, जो कि सलग्न हैं।

सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वर्ष 11-2014 को सिंचाई विभाग
कर्मचारी महासंघ के महासंघी पद पर चुनाव जीतने के बाद कर्मचारी
सुसंगत नियमावली में संगठन का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष होने के
पश्चात भी जनपद-उन्नालामी में कुछ राजनीतिक दलों के साथ
मिलकर दिनांक 16-12-2016 को जिला स्तरीय चुनाव सम्पन्न
कराये गये जो कि पूर्णतप से अवैध है, एवं कर्मचारी सुसंगत
नियमावली के विहद हैं। जिसके विहद प्रार्थी की शिकायत पर
प्रमुख अधिकारी, सिंचाई विभाग यमुना कालोनी देहवाइन के

पत्रांक: 304/आई/प्र०आ।सिचाई विभाग कार्र्मि-2/ई-6 दिनांक 26-12-2016 पर उम्त संघठन के सुसंगत नियमवाली के विरुद्ध कार्य करने हेतु पत्र निर्गत किया गया है (द्वारा प्रति संलग्न)

आपसे अनुरोध है कि कृपया उम्त प्रकरण की जमीरता को देखते हुये राजनैतिक दलों के साथ साँठ-गाठ (मिलकर) कार्य करने वाले उम्त सिंचाई विभाग के कर्मचारी श्री प्रबालिन्द नौरियाल पुर सहायक, सिंचाई कार्र्मखण्डल देहवाइन के विरुद्ध आदर्श आन्चार संहिता लागू करते हुये इन्हे तत्काल देहवाइन मुख्यालय से दुर्गम क्षेत्र स्थानान्तरण करते हुये इनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि प्रथी द्वारा पंक्ति इच्छा अधिकार अधिकियम - 2005 का पूर्णरूपेण पालन हो सके।

दिनांक :- 8-1-2017

संलग्न :- प्रथीपरि।

भवदीय, 8/1/2017

(जे०एन० जोशी)

अपीलार्थी,

S. B C 114, मधुनाकालेनी देहवाइन।

प्रतिलिपि: 1) लोक सूचना अधिकारी/लघुसिंचाई
उत्तरप्रदेश शासन देहवाइन को उनके कार्र्म
प्राप्त कएये गये विभिन्न सूचनाओं के सम्बन्ध में।

2) जिनाधिकारी उत्तरप्रदेशी को दिनांक
16-12-2016 को हुई सिंचाई विभाग कर्मचारी
गहखेद के अवेध-पुताव को निरस्त
करने की कार्यवाही हेतु। संलग्न दिनांक
16-12-2016 के विरुद्ध प्रभुवे अक्रियता के
पत्र की द्वारा प्रति।

(जे०एन० जोशी)

अपीलार्थी

S. B C - 114, मधुनाकालेनी
देहवाइन।



(पंजीकृत)

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

दूरभाष : 0135 - 2675780, टैलिफैक्स : 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैब: <http://uic.gov.in>

पत्रांक : 8527 / उ.सू.आ. / 2016-17


दिनांक 04.08, 2017

सेवा में,

1. लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून।

अपील संख्या : 23973/2017 श्री जे0एन0 जोशी बनाम लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून व अन्य में आयोग द्वारा पारित दिनांक 03/08/2017 के अंतरिम आदेश की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित की जा रही है

संलग्न : यथोपरि।


(सावित्री देगी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :

अपीलकर्ता : श्री जे0 एन0 जोशी, एस0बी0सी0-114, यमुना कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न : यथोपरि।

उप सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

आवश्यक सूचना—:

“ समस्त लोक प्राधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी को सूचित किया जाता है कि आप द्वारा आयोग को भेजे जाने वाले पत्र में अपना नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर अवश्य अंकित करें, बिना नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, के आयोग को सम्बोधित पत्रों को आयोग द्वारा निरस्त किया जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी का स्वयं होगा। ”

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : 23973/2017

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू.का अधि. अधिनियम, 2005

रामक्ष : शत्रुघ्न सिंह, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री जे0 एन0 जोशी, एस0बी0सी0-114, यमुना कालोनी,
देहरादून।


बनाम

- प्रत्युत्तरदाता : 1. लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
सचिवालय परिसर, देहरादून।
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी /सहायक मुख्य निर्वाचन
अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा :

आज सुनवाई में अपीलार्थी श्री जे0एन0जोशी उपस्थित हैं। लोक सूचना
अधिकारी श्री बसन्त सिंह रावत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

2. पत्रावली अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु दिनांक 05/09/2017 को प्रस्तुत हो।.


(शत्रुघ्न सिंह)

मुख्य सूचना आयुक्त
03/08/2017

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या ११३ / XXV-12 / 2008 (P-5)

देहरादून : दिनांक 16 अगस्त, 2017

सेवा में,

श्री जे०एन० जोशी,
S.B.C.-114, यमुना कालोनी,
देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 727 दिनांक 01 फरवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके सन्दर्भ में आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील चाहने हेतु दिनांक 13 फरवरी, 2017 को पत्र प्रेषित किया गया जिसके क्रम में विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या 1304 दिनांक 27 फरवरी, 2017 के द्वारा आपको अपील संख्या 01/2017 पर सुनवाई हेतु दिनांक 08 मार्च, 2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे कार्यालय उपस्थित हेतु अवगत कराया गया। आप उक्त निर्धारित दिनांक एवं समय पर अपील सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए। उपस्थित न होने की दशा में विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र संख्या 1604 दिनांक 29 मार्च, 2017 के द्वारा आपकी प्रस्तुत अपील का निस्तारण कर लिया गया प्रति संलग्न कर पुनः प्रेषित है।

2. आपके द्वारा अपने पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2017 के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाही गयी जो इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त न होने की दशा में आपके द्वारा मा० मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड सूचना आयोग में अपील की गयी।

3. मा० मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अपील संख्या A(D) 23973/2017 पर दिनांक 03 अगस्त, 2017 को अपील निर्धारित की गई। अपील सुनवाई के दौरान मा० मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के निर्देशों के अनुपालन में आपको सन्दर्भित बिन्दु संख्या 01 से 07 तक चाही गयी सूचना एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या-166 दिनांक 11 जनवरी, 2017 के सन्दर्भ में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (कार्मिक अनुभाग-2) सिचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 5576 दिनांक 09 अगस्त, 2017 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04-सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी० एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

dk

पृ संख्या 2231 / XXV-12 / 2008 (P-5) / 2008, तददिनांकित।

प्रतिलिपि सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि मा० मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून द्वारा उक्त अपीलार्थी की अपील संख्या A(D) 23973/2017 पर दिनांक 03 अगस्त, 2017 को अपील सुनवाई के दौरान जारी निर्देशों के अनुपालन में श्री जे०एन०जोशी को बिन्दु संख्या 01 से 07 तक चाही गयी सूचना के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-166 दिनांक 11 जनवरी, 2017 के सन्दर्भ में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (कार्मिक अनुभाग-2) सिचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 5576 दिनांक 09 अगस्त, 2017 की प्रति उक्तानुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

B-s. Rawat
(बी० एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

Rawat

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2713724, 2712014

संख्या 2202 /XXV-23/2016

देहरादून : दिनांक 08 अगस्त, 2017

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष),
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017- आदर्श आचार संहिता उल्लंघन आदि से संबंधित शिकायत का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या- 166 दिनांक 11 जनवरी, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 से संबंधित श्री जे०एन० जोशी, S.B.C.-119, यमुना कालोनी, देहरादून के पत्र दिनांक 08 जनवरी, 2017 की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित की गयी थी कि सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर शीघ्र जांच कराते हुए यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त वर्णित शिकायत के सन्दर्भ में आपके द्वारा आतिथि तक जांच आख्या इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार संदर्भित बिन्दुओं पर सूचना दिनांक 09 अगस्त, 2017 अपरान्ह तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

8/8/17
मुख्य अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रेषक,

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2),
सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

प्रेषित,

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
04-सुभाष रोड, सचिवालय परिसर,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संख्या:- 5576/प्र0अ0/सिं0वि0/का-2/ई-14(श्री नौटियाल), दिनांक: 09 अगस्त 2017

विषय:-विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं आचार संहिता उल्लंघन आदि से सम्बन्धित शिकायत के प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 166/XXV-23/2016, दिनांक 11.01.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री जे0एन0 जोशी, एस0बी0सी0-119, यमुना कालोनी, देहरादून के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.17 की प्रति संलग्नाकों सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की गयी है कि पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर शीघ्र जांच करवाकर यथोचित कार्यवाही करने की वांछना की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में पुनः पत्र संख्या 2202/XXV-23/2016, दिनांक 08.08.17 द्वारा शिकायती पत्र पर जांच आख्या दिनांक 09.08.17 अपरान्ह तक उपलब्ध कराये जाने की वांछना की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता प्रकरण पर जांच की गयी तथा श्री पूर्णानन्द नौटियाल, प्रशासनिक अधिकारी से अपना पक्ष रखने हेतु लिखा गया, जिस पर श्री नौटियाल द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:-

1. श्री जे0एन0 जोशी के प्रार्थना पत्र पर जांच करायी गयी। जॉचोंपरान्त पाया गया कि चुनाव आचार संहिता से सम्बन्धित श्री नौटियाल, प्रशासनिक अधिकारी का वर्तमान में किसी राजनैतिक पार्टी से कोई सम्बन्ध होने के प्रमाण संज्ञान में नहीं आया है तथा न ही श्री जोशी के प्रार्थना पत्र के साथ राजनैतिक सम्बन्ध होने का कोई प्रमाणक संलग्न है। उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में श्री नौटियाल, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपना प्रत्यावेदन में उल्लेख किया है कि "मैं एक राज्य कर्मचारी हूँ, मेरा किसी भी राजनैतिक दल से कोई सम्बन्ध नहीं है।
2. श्री जे0एन0 जोशी द्वारा जो संलग्नक प्रस्तुत किये गये हैं, उन पर पूर्व में भी जांच की गयी, जिसमें जॉचोंपरान्त शिकायतें निराधार व असत्य पायी गयी थी। अतः सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(आनन्द सिंह बृजवाल)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

Rh
१-८-१७

प्रेषक,

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2),
सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

प्रेषित,

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
04-सुभाष रोड, सचिवालय परिसर,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संख्या:- 5576/प्र0अ0/सि0वि0/का-2/ई-14(श्री नौटियाल), दिनांक: 09 अगस्त 2017

विषय:-विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं आचार संहिता उल्लंघन आदि से सम्बन्धित शिकायत के प्रेषण ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 166/XXV-23/2016, दिनांक 11.01.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री जे0एन0 जोशी, एस0बी0सी0-119, यमुना कालोनी, देहरादून के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.17 की प्रति संलग्नाकों सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की गयी है कि पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर शीघ्र जांच करवाकर यथोचित कार्यवाही करने की वांछना की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में पुनः पत्र संख्या 2202/XXV-23/2016, दिनांक 08.08.17 द्वारा शिकायती पत्र पर जांच आख्या दिनांक 09.08.17 अपरान्ह तक उपलब्ध कराये जाने की वांछना की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता प्रकरण पर जांच की गयी तथा श्री पूर्णानन्द नौटियाल, प्रशासनिक अधिकारी से अपना पक्ष रखने हेतु लिखा गया, जिस पर श्री नौटियाल द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:-

1. श्री जे0एन0 जोशी के प्रार्थना पत्र पर जांच करायी गयी। जॉचोंपरान्त पाया गया कि चुनाव आचार संहिता से सम्बन्धित श्री नौटियाल, प्रशासनिक अधिकारी का वर्तमान में किसी राजनैतिक पार्टी से कोई सम्बन्ध होने के प्रमाण संज्ञान में नहीं आया है तथा न ही श्री जोशी के प्रार्थना पत्र के साथ राजनैतिक सम्बन्ध होने का कोई प्रमाणक संलग्न है। उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में श्री नौटियाल, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपना प्रत्यावेदन में उल्लेख किया है कि "मैं एक राज्य कर्मचारी हूँ, मेरा किसी भी राजनैतिक दल से कोई सम्बन्ध नहीं है।
2. श्री जे0एन0 जोशी द्वारा जो संलग्नक प्रस्तुत किये गये हैं, उन पर पूर्व में भी जांच की गयी, जिसमें जॉचोपरान्त शिकायतें निराधार व असत्य पायी गयी थी। अतः सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(आनन्द सिंह बृजवाल)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

Rh
9-8-17

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2713724, 2712014

देहरादून : दिनांक ०८ अगस्त, 2017

संख्या 2202 / XXV-23 / 2016

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष),
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017- आदर्श आचार संहिता उल्लंघन आदि से संबंधित शिकायत का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या- 166 दिनांक 11 जनवरी, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 से संबंधित श्री जे०एन० जोशी, S.B.C.-119, यमुना कालोनी, देहरादून के पत्र दिनांक 08 जनवरी, 2017 की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित की गयी थी कि सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर शीघ्र जांच कराते हुए यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त वर्णित शिकायत के सन्दर्भ में आपके द्वारा आतिथि तक जांच आख्या इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार संदर्भित बिन्दुओं पर सूचना दिनांक 09 अगस्त, 2017 अपरान्ह तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

8/8/17
मुख्य अभियन्ता
कार्यालय प्रमुख
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 2175 /XXV-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक ०२ अगस्त, 2017

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।


विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-23973/2017 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० सूचना आयोग के पत्र संख्या 7773/ उ.सू.आ. /अपील/2017-18/(CIC) दिनांक 17 जुलाई, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री जे०एन० जोशी, एस०बी०सी०-114, यमुना कालोनी, देहरादून द्वारा मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील के क्रम में विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं लो०सू०अ० से अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है। उक्त क्रम में मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाना है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 01 का निस्तारण आदेश संख्या 1604 दिनांक 29 मार्च, 2017 के माध्यम से कर दिया गया है।

2. उक्त के अतिरिक्त मा० सूचना आयोग से सादर अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग से संचालित निर्वाचन नामावली के विशेष अभियान की समीक्षा बैठक/बी०सी० में व्यस्तता के कारण मै मा० आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अपीलीय अधिकारी की ओर से लो०सू०अ० द्वारा विभागीय पक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ०संख्या /XXV-12(1-5)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि बसंत सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी एवं लो०सू०अ० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा० सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय अपीलीय अधिकारी का पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय अपीलीय अधिकारी सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी
कार्यालय देहरादून

अपील संख्या- 01/2017

अपीलकर्ता:- श्री जे0एन0 जोशी, S.B.C.-114, यमुना कालोनी, देहरादून।

बनाम

उत्तरदाता:- लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

श्री जे0एन0 जोशी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें (बिन्दु संख्यां 01 से 11 तक) लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 727 दिनांक 01 फरवरी, 2017 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी हैं।

2- लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री जे0एन0 जोशी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 13 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 1304 दिनांक 27 फरवरी, 2017 के माध्यम से सूचित करते हुए दिनांक 08 मार्च, 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलकर्ता सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें अभिलेखों के अनुसार सही हैं। यदि आप सहमत हो तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली /अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या | 604 /XXV-12/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री जे0एन0 जोशी, S.B.C.-114, यमुना कालोनी, देहरादून।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 2174/XXV-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक 2 अगस्त, 2017

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।


विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-23973/2017 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० सूचना आयोग के पत्र संख्या 7773/ उ.सू.आ./अपील/2017-18/(CIC) दिनांक 17 जुलाई, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री जे०एन० जोशी, एस०बी०सी०-114, यमुना कालोनी, देहरादून द्वारा मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील के क्रम में विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं लो०सू०अ० से अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है। उक्त क्रम में मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाना है कि अपीलकर्ता को लो०सू०अ० के पत्र संख्या 727 दिनांक 01 फरवरी, 2017 के माध्यम से सूचना उपलब्ध करा दी गयी।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,


(बी० एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

देहरादून : दिनांक 01 फरवरी/ जनवरी, 2017

संख्या 327 /XXV-12 /2008 (P-4)
सेवा में,

श्री जे०एन० जोशी,
S.B.C.-114, यमुना कालोनी,
देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित सूचना के क्रम में मु०नि०अ० कार्यालय के पत्र संख्या-166 दिनांक 11 जनवरी, 2017 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियन्ता (विभागध्यक्ष), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। आप द्वारा बिन्दु संख्या 03 से बिन्दु संख्या 11 तक मांगी गयी सूचनाओं के संबंध में आपको अवगत कराना है कि अभी तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी जांच का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होने पर आपको अलग से यथा समय अवगत कराया जायेगा।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04-सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B S Rawat
(बी० एस० रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
*ac

को.सं.

लोक सूचना अधिकारी / ~~सूचना~~ मुख्य निवृत्त अधिकारी

4, तुगास रोड, सचिवालय पी.एल.

डेह्रादून।

पत्रांक 8014 / सूचना अधिकार दिनांक: 29/जनवरी 2017

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना

तन्त्र:- आपका पत्रांक 166/XXV/2016 दिनांक: 01 जनवरी 2017
संबंधी कार्य का प्रतिक - पत्र 08 जनवरी 2017

महोदय,

① कृपया कार्य के पत्रांक 08 जनवरी 2017 में श्री
श्रीमान्द नैटियाल सिंघाई विभाग, कर्मचारी के विरुद्ध पेशित
साक्ष्य पर विरुद्ध की गई कार्यवाही के समस्त साक्ष्य, कार्यालय
टिप्पणी सहित उपलब्ध करें।

② फूट पत्र पर 08 जनवरी से 11 जनवरी तक की गई
कार्यवाही के टिप्पणी फाइल की क्षया प्रति साक्ष्य दें।

③ प्रमुख कर्मचारी कानिबि अनुभाग - 2 के पत्रांक 304 दिनांक
26 दिसम्बर 2016, में उक्त कार्य में सम्बन्ध, अधिवेशन एवं जिला
कार्यवाही गहन पर तथा तुगास रोड लगाने संबंध पदाधिकारी पर
की गई कार्यवाही की क्षया प्रति साक्ष्य सहित उपलब्ध करें।

④ जिला अधिकारी/ जिला निवृत्त अधिकारी डेह्रादून का
कार्यालय पत्रांक - 481/25-74/2014, दिनांक 04 अप्रैल 2014
प्राप्त साक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात भी कार्य को पेशित किए
गये पत्रांक 166 दिनांक 11 जनवरी 2017 के अंतर्गत आने
वाले निपत्र/ फाइल की क्षया प्रति समस्त साक्ष्य सहित
उपलब्ध करें।

⑤ श्रीमान्द प्रताप अहिर के.डी.य महामंत्री का पत्रांक: 183
दिनांक - 18-3-2014 पत्रांक 84 दि. 8-4-14 साक्ष्य हेतु उपलब्ध
होने तथा जिला अधिकारी का पत्रांक 742 दि. 27-4-2014 एवं
कार्य का पत्रांक 30-6-2016 (सूचना अधिकार) में प्राप्त समस्त
साक्ष्य सहित उपलब्ध होने के पश्चात भी जब आपके द्वारा
कराये जा रहे जांच का आताउत्र/ निपत्र की क्षया प्रति
उत्पाणको सहित उपलब्ध करें।

केन्द्र का शासनादेश निवचन आयोग से उपलब्ध है इसके अतिरिक्त अिकायत कर्ता द्वारा सूचना अधिकार से प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए भी कार्यवाही नहीं किया जाना है।

उक्त शासनादेश/निर्णय की धारा 3(1) भी उपलब्ध कराये जाते हैं अतिरिक्त अिकायत कर्ता द्वारा सम्पूर्ण प्रमाणों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात भी निवचन आयोग उक्त अष्ट कार्मिक पर आचार संहिता के अडिओ का अनुपालन करने में असमर्थ है। प्रमाणों एवं साक्ष्यों की प्रति सहित उपलब्ध कराये।

अिकायत कर्ता के कार्यवाही पत्र दिनांक 08 जनवरी 2017 से उक्त कार्मिक पर कर्मचारी अखला निपनावली 2003 के अतिरिक्त अन्य विभिन्न आचार संहिता/निपनावली में स्पष्ट-व्याप्त कार्यवाही नहीं की गई है अतः साक्ष्य प्रमाणों सहित उपलब्ध कराये।

अिकायत कर्ता द्वारा प्रस्तुत लम्बे प्रकरणों तथा साक्ष्योपर प्रति साक्ष्य के अन्य कार्यवाही, ई-निर्णय प्रणाली पर प्रकाशित विद्वानों के साक्ष्य प्रमाणों कार्यवाही तथा उक्त पत्र के आचार संहिता/निपनावली पर राजनैतिक दलों को लाभ पहुँचाने वाले कार्मिकों पर की गई कार्यवाही की धारा 3(1) एवं समस्त निर्णय अडिओ की धारा 3(1) साक्ष्य प्रमाणों के

निवचन आयोग के ऐसा कौन सा शासनादेश उपलब्ध है जिसके अतिरिक्त चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाने एवं आदेश आचार संहिता पूर्ण होने के पश्चात भी राजनैतिक दलों का सहयोग करने वाले कार्मिकों पर आचार संहिता के निर्णय अडिओ लागू करने में निवचन आयोग असमर्थ है अतः निवचन आयोग शासनादेशों की धारा 3(1) साक्ष्य प्रमाणों सहित दे।

उपरोक्त अिकायत पर अब और कितने कार्मिकों से है कि अिकायत प्राप्त एवं साक्ष्य प्रमाणों उपलब्ध होने पर भी उक्त विद्वान निवचन आयोग कार्यवाही करने में असमर्थ है। सम्पूर्ण निर्णय/शासनादेश उपलब्ध कराये।

लेखक: 23/10/2017 अकायत कर्ता
किपमानुषा ()

अवधीय
(जे. एन. जोशी)

(अभुना कालोनी) 13C-114, अभुना कालोनी
मो 98-9411361093

10/13
75E 561730

संख्या 166 / XXV-23 / 2016
सेवा में,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2713724, 2712014

देहरादून : दिनांक 11 जनवरी, 2017

संख्या 166 / XXV-23 / 2016

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष),
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:-

विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017-अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन आदि से संबंधित शिकायत का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको श्री जे०एन० जोशी, अपीलार्थी, S.B.C.-119, यमुना कालोनी, देहरादून के पत्र दिनांक 08 जनवरी, 2017 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित है कि प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित करने के मुझे निदेश प्राप्त हुए हैं कि संलग्न पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की शीघ्र जांच करवाकर यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Handwritten initials

पू० संख्या - 166 / XXV-23 / 2016, तददिनांक

प्रतिलिपि:- श्री जे०एन० जोशी, अपीलार्थी, S.B.C.-119, यमुना कालोनी, देहरादून को उनके वर्णित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Handwritten initials

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 2174 /XXV-12 (1-5) /2008

देहरादून : दिनांक ०२ अगस्त, 2017

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-23973/2017 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० सूचना आयोग के पत्र संख्या 7773/ उ.सू.आ. /अपील/2017-18/(CIC) दिनांक 17 जुलाई, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री जे०एन० जोशी, एस०बी०सी०-114, यमुना कालोनी, देहरादून द्वारा मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील के क्रम में विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं लो०सू०अ० से अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है। उक्त क्रम में मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाना है कि अपीलकर्ता को लो०सू०अ० के पत्र संख्या 727 दिनांक 01 फरवरी, 2017 के माध्यम से सूचना उपलब्ध करा दी गयी।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी० एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
HK

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

XXV-12 / 2008 (P-4)

देहरादून : दिनांक 01 फरवरी/ जनवरी, 2017

श्री जे०एन० जोशी,
S.B.C.-114, यमुना कालोनी,
देहरादून।

विषय:-
महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित सूचना के क्रम में मु०नि०अ० कार्यालय के पत्र संख्या-166 दिनांक 11 जनवरी, 2017 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियन्ता (विभागध्यक्ष), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। आप द्वारा बिन्दु संख्या 03 से बिन्दु संख्या 11 तक मांगी गयी सूचनाओं के संबंध में आपको अवगत कराना है कि अभी तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी जांच का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होने पर आपको अलग से यथा समय अवगत कराया जायेगा।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04-सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B S Rawal
(बी० एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
मुख्यालय रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712056, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2713724, 2712014

देहरादून : दिनांक 11 जनवरी, 2017

166 / XXV-23 / 2016

मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष),
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:-


विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017-अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण ए
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन आदि से संबंधित शिकायत का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको श्री जे०एन० जोशी, अपीलार्थी, S.B.C.-119, यमुना कालोनी
देहरादून के पत्र दिनांक 08 जनवरी, 2017 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित है कि प्रति
संलग्न कर इस आशय से प्रेषित करने के मुझे निदेश प्राप्त हुए हैं कि संलग्न पत्र में उल्लिखित
बिन्दुओं की शीघ्र जांच करवाकर यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,



(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

M. Das

पृ० संख्या - 166 / XXV-23 / 2016, तददिनांक

प्रतिलिपि:- श्री जे०एन० जोशी, अपीलार्थी, S.B.C.-119, यमुना कालोनी, देहरादून को उनके वर्णित पत्र
के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।



(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

M. Das

लोक सूचना अधिकारी / ~~सहायक~~ मुख्य निवृत्ति अधिकारी,
4, तुंगभद्र रोड, सचिवालय पीएल
डेह्रादून।

क्र. 8014 / सूचना अधिकार दिनांक: 29/जनवरी 2017

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना

संदर्भ:- आपका पत्रांक 166/XXV/2016 दिनांक: 01 जनवरी 2017
संबंधी जर्नी का जर्नी-फं 08 जनवरी 2017

बोधोपय,
① कृपया जर्नी के पत्रांक 08 जनवरी 2017 में श्री
प्रधान न्यायालय सिंघाई विभाग, कर्मचारी के विरुद्ध प्रेषित
साक्ष्य पर विदुवा की गई कार्यवाही के समस्त साक्ष्य, कार्यालय
टिप्पणी सहित उपलब्ध कराएँ।

② इन्ट फॉर्म पर 08 जनवरी से 11 जनवरी तक की गई
कार्यवाही के टिप्पणी फॉर्मों की क्षया प्रति साक्ष्य दें।

③ प्रमुख कर्मिता कार्मिक अनुभाग-2 के पत्रांक 304 दिनांक
26 दिसंबर 2016, में उक्त कर्मिता के सम्बन्ध में अधिवेशन एवं जिला
कार्यपालिका गहन परतया तुंगभद्र रोड लगाने एवं पदाधिकारियों
पर की गई कार्यवाही की क्षया प्रति साक्ष्य सहित उपलब्ध कराएँ।

④ जिला अधिकारी/ जिला निवृत्ति अधिकारी डेह्रादून का
कार्यालय पत्रांक - 481/25-74/2014, दिनांक 04 अप्रैल 2014
प्रसारण साक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात भी जर्नी को प्रेषित किए
गये पत्रांक 166 दिनांक 11 जनवरी 2017 के अंतर्गत आये
वाले निपन/ फॉर्मों की क्षया प्रति समस्त साक्ष्य सहित
उपलब्ध कराएँ।

⑤ श्रीमान्ति प्रताप अहिर केन्द्रीय मद्यमगी का पत्रांक: 183
दिनांक- 18-3-2014, पत्रांक 84 दि. 8-4-14 साक्ष्य हेतु उपलब्ध
होने तथा जिला अधिकारी का पत्रांक 742 दि. 27-4-2014 एवं
जर्नी का पत्रांक 30-6-2016 (सूचना अधिकार) में प्राप्त समस्त
साक्ष्य सहित उपलब्ध होने के पश्चात भी अब आपके द्वारा
कराये जा रहे जांच का प्रस्ताव/ निपन की क्षया प्रति
उत्तरांक सहित उपलब्ध कराएँ।

सा आहतोड्डेन निवचिन आयोग जे उपलब्ध है
अिकापत कर्ता डाटा सूचना अधिकार से प्राप्त उगाणक
एके जाने के पश्चात भी कार्यवाही नही किया जाना
आहतोड्डेन/ निपक एवं कोई आतिगुत आडेन है तो उक्त
उक्ति उगाणको सहित उपलब्ध कराये।

सा आहतोड्डेन/ निपक की द्वाया प्रति भी उपलब्ध कराये जाते
अिकापत कर्ता डाटा सम्पूर्ण उगाणक उपलब्ध कराये जाते
के पश्चात भी निवचिन आयोग उक्त अण्ड कार्मिक पर
आचार संहिता के आडेनो का अनुपालन करने में असमर्थ है
उगाणको एवं साक्ष्यों की प्रति सहित उपलब्ध कराये।

② अिकापत कर्ता के कार्यवा पन डिकोक ०४ जनवरी २०१७ से
उक्त कार्मिक पर कर्त्तरी अखण निपनावली २००३ के अर्कि
स्वय विभिन्न आचल निपकालिपो में म्या-अप्य कार्यवाही की
गई है लगस्त साक्ष्य उगाणक सहित उपलब्ध कराये।

③ अिकापत कर्ता डाटा प्रस्तुत लगस्त उपको तथा साक्ष्योपा
उक्ति साक्ष्य के जांच कार्यवाही उक्ति लमाया पको पर
प्रकाशित विन्दुको के साक्ष्य उगाणक कार्यवाही तथा उस
पन के आचार पर सम्बन्धित कार्मिको पर राजनैतिक दल
को लाभ पहुँचाने वाले कार्मिको पर की गई कार्यवाही की द्वा
उक्ति एवं समस्त निगित आडेनो की द्वाया प्रति साक्ष्य उगाणक दे

④ निवचिन आयोग में ऐसा कौन सा आहतोड्डेन उपलब्ध
है जिसके आतिगुत युगाव प्रक्रिया समाप्त हो जाने एवं
आचल आचार संहिता पूर्ण होने के पश्चात भी राजनैतिक दल
का सहयोग करने वाले कार्मिको पर आचार संहिता के निपक
आडेन लागू करने में निवचिन अनुगाग असमर्थ है उत्प्रेक निपक
आहतोड्डेनो की द्वाया प्रति साक्ष्य उगाणको सहित दे।

⑤ कार्यो की अिकापत पर अब और कितने कार्मिक ऐसे हैं
कि अिकापत प्राप्त एवं साक्ष्य उगाणक उपलब्ध अ होने पर भी उने
विन्दु निवचिन आयोग कार्यवाही करते में असमर्थ है। सम्पूर्ण
निपक/ आहतोड्डेन उपलब्ध कराये।

लेखक: डी. १५/मुलक गकड
किपमानुका।

अवधीय
जे. २०२० जोशी

10B
75E 561730

(चमुना कालोनी) S. 13 C-114, ममुना का
डेहाडून।
मो ००-९५११३६१०९३

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या /XXV-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक ०२ अगस्त, 2017

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-23973/2017 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० सूचना आयोग के पत्र संख्या 7773/ उ.सू.आ./अपील/2017-18/(CIC) दिनांक 17 जुलाई, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री जे०एन० जोशी, एस०बी०सी०-114, यमुना कालोनी, देहरादून द्वारा मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील के क्रम में विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं लो०सू०अ० से अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है। उक्त क्रम में मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाना है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 01 का निस्तारण आदेश संख्या 1604 दिनांक 29 मार्च, 2017 के माध्यम से कर दिया गया है।

2. उक्त के अतिरिक्त मा० सूचना आयोग से सादर अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग से संचालित निर्वाचन नामावली के विशेष अभियान की समीक्षा बैठक/बी०सी० में व्यस्तता के कारण मै मा० आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अपीलीय अधिकारी की ओर से लो०सू०अ० द्वारा विभागीय पक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पू०संख्या २१७५ /XXV-12(1-5)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि बसंत सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी एवं लो०सू०अ० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा० सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय अपीलीय अधिकारी का पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या २१७५/XXV-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक ०२ अगस्त, 2017

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड़, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-23973/2017 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा० सूचना आयोग के पत्र संख्या 7773/ उ.सू.आ./अपील/2017-18/(CIC) दिनांक 17 जुलाई, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री जे०एन० जोशी, एस०बी०सी०-114, यमुना कालोनी, देहरादून द्वारा मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील के क्रम में विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं लो०सू०अ० से अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है। उक्त क्रम में मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाना है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 01 का निस्तारण आदेश संख्या 1604 दिनांक 29 मार्च, 2017 के माध्यम से कर दिया गया है।

2. उक्त के अतिरिक्त मा० सूचना आयोग से सादर अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग से संचालित निर्वाचन नामावली के विशेष अभियान की समीक्षा बैठक/बी०सी० में व्यस्तता के कारण मै मा० आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अपीलीय अधिकारी की ओर से लो०सू०अ० द्वारा विभागीय पक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पू०संख्या २१७५/XXV-12(1-5)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि बसंत सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी एवं लो०सू०अ० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा० सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय अपीलीय अधिकारी का पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय अपीलीय अधिकारी सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी
कार्यालय देहरादून

अपील संख्या- 01/2017

अपीलकर्ता:- श्री जे0एन0 जोशी, S.B.C.-114, यमुना कालोनी, देहरादून।

उत्तरदाता:- लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

श्री जे0एन0 जोशी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें (बिन्दु संख्यां 01 से 11 तक) लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 727 दिनांक 01 फरवरी, 2017 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी हैं।

2- लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री जे0एन0 जोशी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 13 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 1304 दिनांक 27 फरवरी, 2017 के माध्यम से सूचित करते हुए दिनांक 08 मार्च, 2017 को 11.00 बजे पूर्वान्ह सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलकर्ता सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें अभिलेखों के अनुसार सही हैं। यदि आप सहमत हो तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली /अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पू0संख्या | 604 /XXV-12/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री जे0एन0 जोशी, S.B.C.-114, यमुना कालोनी, देहरादून।

(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

पंजीकृत / दस्ती

सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून

अपील संख्या:
अपील अन्तर्गत धारा
अपीलकर्ता

A(D)-23973/2017

19 (3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005

श्री जे0 एन0 जोशी, एस0बी0सी0-114, यमुना कालोनी, देहरादून
बनाम

प्रत्युत्तरदाता

1. लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून

नोटिस

अपीलकर्ता श्री जे0 एन0 जोशी, द्वारा आयोग को राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) 2005 के द्वारा निस्तारणार्थ अपील प्रार्थना पत्र 19.06.2017 को प्रस्तुत किया गया है. आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से 03.08.2017 (बृहस्पतिवार) को आयोग कार्यालय, सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून में वाद सूची के क्रम के अनुसार 11.15 बजे से दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है.

2. अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम-3 और नियम-4 के द्वारा प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को नियम छ: के अनुसार प्रत्युत्तरदाता को पंजीकृत डॉक से/विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है.
3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को प्रत्युत्तरदाताओं को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे 03.08.2017 को सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें. प्रत्युत्तरदाताओं से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील-मेमोरेण्डम के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ स्वयं अथवा प्रतिनिधि उपस्थित हों.

लोक सूचना अधिकारी

अ. अपीलकर्ता/प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर

ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा

स. लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका

द. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां

ध. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति

न. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

विभागीय अपीलीय अधिकारी

अ. अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर,

ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित विभागीय अपील व्यवहृत की गयी हो, तथा

स. निर्धारित विभागीय अपील पंजिका

द. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

आयोग की ओर से

(झरना कमठान)

सचिव

संख्या 7773 उ.सू.आ./अपील/2017-18/(CIC)

प्रतिलिपि

दिनांक : 17.07, 2017

1. श्री जे0 एन0 जोशी, एस0बी0सी0-114, यमुना कालोनी, देहरादून।
2. लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
3. विभागीय अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
4. विभागीय पत्रावली।

(झरना कमठान)

सचिव

सेवा में,


सचिव,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार (वर्षान्तर) अधिनियम, 2005

6(3)	FAO	KOF
RIO	LO	Secy.
18	R.S.	Dy. Secy.

16/6/17



वितीय-अपील। (सूचना अधिनियम अधिनियम 2005)

पार्थी ने लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निवचन अधिकारी 04, हुमाचरोड, सचिवालय परिसर डेहली से-07 किट्टों पर सूचना चाही थी, जो कि उनके द्वारा उपलब्ध नहीं पाई गई।

उम्ह सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलित अधिकारी से भी दिनांक 15-04-17 को प्रथम अपील करने हेतु लिखा गया किन्तु विकारीय अपीलित अधिकारी द्वारा भी अपील सुनाई नहीं की गई जो कि सूचना अधिनियम अधिनियम-2005 का पूर्ण रूप से उल्लंघन है।

आपसे निवेदन है कि पार्थी की अपील पर सुनाई करते हुए सचिव (वांछित) सूचना उपलब्ध बनाने की सुझावें

- संलग्न - 0 अपीलित पार्थी - पत्र
- 0 अपीलित अधिकारी को उचित प्रथम अपील पत्र

दिनांक 16/06/17

अधीनस्थ
(जो 0 2 न 0 जो 0 0 0)
S. B. C. - 114, 21 मुना
कालोनी डेहली।

सेवा में

विभागीय अपीलीय अधिकारी
सहायक मुख्य निपचिit अधिकारी,
उत्तरपथ - 04 तुगाथ रोड
साचिवालय पणित डेटाइन।

विषय। सूचना अधिकार कावेदन पत्र सं० मून्य दिनांक 13-2017

संदर्भ,

कृपया अपरोक्त विषयक प्रार्थी ने लोक सूचना
अधिकारी/निपचिit अधिकारी 04 तुगाथ रोड डेटाइन से
07 विद्युतों पर सूचना चाही थी, (प्रार्थी) कावेदन पत्र भी
दिया प्रति संलग्न है, विगत समय अतीत होने पर भी उक्त
वाहित सूचना प्रार्थी को प्राप्त नहीं कराई गई है।

वाहित सूचना प्राप्त करने की कृपा करें।

संलग्न: वाहित सूचना पत्र की
दुप्ला प्रॉटि।

दिनांक 15-04-2017

भवदीय

जे० ए० गोयी
S-BC-114 यमुना
कालोनी डेटाइन।

27/04/2017

कार्यालय क्षेत्रीय/मूल सहायक
लोक सूचना अधिकारी
उत्तरपथ साचिवालय

सेवामें

लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निवचन अधिकारी
04 बुनाव रोड, सचिवालय परिसर
देहरादून।

विषय:- सूचना अधिकाधिकार-2005 के अंतर्गत सूचना।
महोदय

कृपया निम्नांकित सूचना है।

- 1) प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 01/11/2017 अिकापत्री-पत्र पर विभिन्न अिकापत्रकर्तको डाटा की गई अिकापत्र एवं सभाचार पत्रों पर अकाषित सभाचारों का साक्ष्य प्रमाणको उपलब्ध होने पर भी सिंचाई विभाग के कर्मचारी श्री प्रहानिन्द नौरियाल, सिंचाई कार्य गठल देहरादून के विलुद्ध विभिन्न राजनैतिक दलों की ओर से पेशी करने स्वे संलिप्तता होने पर मुख्य निवचन अधिकारी देहरादून डाटाका कार्यवाही की गई है सभ्य प्रमाणको की अतिमा अलब्ध करिये,
 - 2) प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 08-1-2017 पर श्री प्रहानिन्द नौरियाल सिंचाई कार्य गठल के राजनैतिक दलों के साक्ष्य प्रमाणको उपलब्ध होने पर निवचन/ डाटा दिनांक 08-1-2017 से आज दिनांक- तक की जा रही कार्यवाही के कार्यालय टिप्पणी/अडिसे की द्वारा अति सहित उपलब्ध करिये।
 - 3) निवचन अधिकारी/ मुख्य निवचन अधिकारी देहरादून के पास ऐसा कौन सा आदेश/ नियम है जिसके अंतर्गत अिकापत्रकर्त के प्रमाणको उपलब्ध होने पश्चात भी श्री प्रहानिन्द नौरियाल सिंचाई कार्य गठल के विलुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है सभ्य नियम साक्ष्यों के प्रमाणको पुष्टि केने का कार्य करे।
 - 4) निवचन अधिकारी/ मुख्य निवचन अधिकारी कार्यालय में ऐसा कौन सा नियम/ प्राविधान है कि पुनाव सम्पूर्ण होने एवं पुनाव में राजनैतिक दलों के साथ झूठ-गठल करने के पश्चात एवं पुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक भी श्री प्रहानिन्द नौरियाल सिंचाई कार्य गठल को दण्डित नहीं किया जा सकता सभ्य साक्ष्य नियमों की द्वारा अतिमा उपलब्ध करिये।
- निवचन अधिकारी/ मुख्य निवचन अधिकारी के पास ऐसा कौन सा आलाउष्य उपलब्ध है जिसके अंतर्गत श्री प्रहानिन्द नौरियाल सिंचाई कार्य गठल पर पुनाव प्रश्ना अत्र साक्ष्य प्रमाणको प्राप्त होने पर भी कर्मचारी अिकापत्रकर्त 2003 लागू नहीं हो सकती है साक्ष्य प्रमाणको सहित है।

14/12/17
लोक सूचना अधिकारी
सचिवालय

③ मस्तूरदास सहायक मुख्य निवचन अधिकारी के पत्रांक 166 / XXV-23/2016 दिनांक 01 जनवरी 2017 के अंतर्गत प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 8-1-2017 पर श्री प्रहलानंद सिन्हाई का प्रमाणपत्र के तहत साक्ष्य प्रमाण तथा राजनैतिक पत्रों के साथ साठ-गौठ होने के पश्चात भी जांच विदुओं पर मुख्य अतिरिक्त (विभागाध्यक्ष) लिखाई किताब को कितने समय पर जांच आख्या उपलब्ध करने हेतु आदेश दिये गये हैं तथा जांच विदुओं पर कितना समय निर्धारित है इस जांच के तहत साक्ष्य खंड आख्या की दायर छलियां सम्बन्ध साक्ष्य सहित है।

④ नया निवचन छलियां के पश्चात श्री प्रहलानंद लिखाई कार्य क्रम के अंतर्गत कार्यवाही के आदेश उपलब्ध है दायर छलियां उपलब्ध करें।

संलग्न 025-10. दिनांक 13/01/2017

दिनांक 13-01-2017

अवधीपुत्र
 (जेठ रतनजी)
 अपीलवाणी
 SB 1-114 यमुनाकाशोनी
 उदयपुर

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

पंजीकृत / दस्ती

सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून

अपील संख्या:
अपील अन्तर्गत धारा
अपीलकर्ता

A(D)-23973/2017

19 (3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005

श्री जे0 एन0 जोशी, एस0बी0सी0-114, यमुना कालोनी, देहरादून

बनाम

प्रत्युत्तरदाता

1. लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून

नोटिस

अपीलकर्ता श्री जे0 एन0 जोशी, द्वारा आयोग को राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) 2005 के द्वारा निस्तारणार्थ अपील प्रार्थना पत्र 19.06.2017 को प्रस्तुत किया गया है. आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से 03.08.2017 (बृहस्पतिवार) को आयोग कार्यालय, सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून में वाद सूची के क्रम के अनुसार 11.15 बजे से दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है.

2. अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम-3 और नियम-4 के द्वारा प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को नियम छ: के अनुसार प्रत्युत्तरदाता को पंजीकृत डाँक से/विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है.
3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को प्रत्युत्तरदाताओं को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे 03.08.2017 को सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें. प्रत्युत्तरदाताओं से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील-गेमोरेण्डम के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ स्वयं अथवा प्रतिनिधि उपस्थित हों.

लोक सूचना अधिकारी

अ. अपीलकर्ता/प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर

ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा

स. लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका

द. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां

ध. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति

न. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

विभागीय अपीलीय अधिकारी

अ. अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर,

ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित विभागीय अपील व्यवहृत की गयी हो, तथा

स. निर्धारित विभागीय अपील पंजिका

द. नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

आयोग नि ओर से

(झरना कमठान)

सचिव

संख्या : 7773 / उ.सू.आ. / अपील / 2017-18 / (CIC)

प्रतिलिपि

दिनांक : 17.07. 2017

1. श्री जे0 एन0 जोशी, एस0बी0सी0-114, यमुना कालोनी, देहरादून।
2. लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
3. विभागीय अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
4. विभागीय पत्रावली।

(झरना कमठान)

सचिव

सेवा में,

सचिव,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार (अर्धन, लाइफ़टाइम) डेटाबेस।

6(3)	FAO	KOF
RIO	LO	Secy.
18	R.S.	Dy. Secy.

16/06/17



विषय - अपील। (सूचना अधिका (अधिनियम 2005))

पार्थी ने लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निवचन अधिकारी 04, पुष्पाचरोड, सचिवालय परिसर डेहली से -07 किट्टों पर सूचना चाही थी, जो कि उनके द्वारा उपलब्ध नहीं पाई गई।

उम्ह सूचना प्राप्त करते हेतु अपील अधिकारी से भी दिनांक 15-04-17 को प्रथम अपील करने हेतु लिखा गया किन्तु विकल्पिक अपील अधिकारी द्वारा भी अपील सुनवाई नहीं की गई जो कि सूचना अधिका (अधिनियम -2005 का पूर्ण रूप से उल्लंघन है।

आपसे निवेदन है कि पार्थी की अपील पर सुनवाई करते हुए सम्बन्धित (वांछित) सूचना उपलब्ध बनाने की कृपा करें।

- संलग्न - 0 अपीलिक डार्कन - 07
- 0 अपीलिक अधिकारी को उचित प्रथम अपील पत्र

दिनांक: 16/06/17

अपदीय
(जो 0 2 न 0 जो 0 0)
S. B. C. - 114, 21 मुना
कालोनी डेहली।

सेवा में

विभागीय अपीलिय अधिकारी
सहायक मुख्य निपचित अधिकारी,
3 हटापड - 04 तुगाप रोड
साचिवालय पालिका डेटाइन।

विषय: सूचना अधिकार आदेश पर से मून्दा दिनांक 13-2017

संदर्भ,

कृपया अपरोक्त विषयक प्रार्थना में लोक सूचना
अधिकारी/निपचित अधिकारी 04 तुगाप रोड डेटाइन से
07 बिन्दुओं पर सूचना चाही थी, (प्रार्थना) आदेश पर भी
दाया प्रति सेलक है, विगत समय अतीत होने पर भी उक्त
बाहिर सूचना प्रार्थना को प्राप्त नहीं कराई गई है।

बाहिर सूचना प्राप्त करने की कृपया करें।

सेलक:- बाहिर सूचना पर की
दाया प्रति।

दिनांक 15-04-2017

अवधीय

जे 0 2-10 जारी
S-BC-114, यमुना
कालोनी डेटाइन।

[Signature]
27/04/2017

कार्यालय क्षेत्रीय मन्त्रालय
लोक सूचना अधिकारी
अपाराधक अधिकारी

सेवामें

लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निवचन अधिकारी
04 बुनाव रोड, सचिवालय परिसर
देहवाड़।

विषय: - सूचना अधिकाधिकार-2005 के अर्तगत सूचना।
महोदय,

कृपया निम्नांकित सूचना है।

- ① प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 01/11/2017 अिकापती-पत्र पर विभिन्न अिकापतकर्तियों द्वारा की गई अिकापत एवं समाचार पत्रों पर प्रकाशित समाचारों का साथ प्रमाणक उपलब्ध होने पर भी सिंचाई विभाग के कर्मचारी श्री प्रबानन्द नौरियाल, सिंचाई कार्य गण्डल देहवाड़ के विलुप्त विभिन्न राजनैतिक दलों की ओर से पेशी करने स्व संलिप्तता होने पर मुख्य निवचन अधिकारी देहवाड़ द्वारा कार्यवाही की गई है समस्त साक्ष्य प्रमाणकों की प्रतिमा उपलब्ध करायें।
- ② प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र दिनांक 08-1-2017 पर श्री प्रबानन्द नौरियाल सिंचाई कार्य गण्डल के राजनैतिक दलों के साथ प्रमाणक उपलब्ध होने पर निवचन/द्वारा दिनांक 08-1-2017 से आज दिनांक-तक भी जा रही कार्यवाही के कार्यालय टिप्पणी/आड्डे की द्वाया प्रति सहित उपलब्ध करायें।
- ③ निवचन अधिकारी/ मुख्य निवचन अधिकारी देहवाड़ के पास ऐसा कौन सा आदेश/ नियम है जिसके अर्तगत अिकापतकर्तियों के प्रमाणक उपलब्ध होने पश्चात भी श्री प्रबानन्द नौरियाल सिंचाई कार्य गण्डल के विलुप्त कार्यवाही नहीं की जा सकती है सम्पूर्ण नियम साक्ष्यों के प्रमाणक सुद्धि के आ काए करे।
- ④ निवचन अधिकारी/ मुख्य निवचन अधिकारी कार्यालय में ऐसा कौन सा नियम/ प्राविधान है कि - चुनाव सम्पूर्ण होने एवं - चुनाव में राजनैतिक दलों के साथ बाँट-गाँव करने के पश्चात एवं - चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक भी श्री प्रबानन्द नौरियाल सिंचाई कार्य गण्डल को दखित नहीं किया जा सकता सम्पूर्ण साक्ष्य नियमों की द्वाया प्रतिमा उपलब्ध करायें।
- ⑤ निवचन अधिकारी/ मुख्य निवचन अधिकारी के पास ऐसा कौन सा आलादेश उपलब्ध है जिसके अर्तगत श्री प्रबानन्द नौरियाल, सिंचाई कार्य गण्डल पर - चुनाव प्रक्षा, प्रक्षा साथ प्रमाणक प्राप्त होने पर भी कर्मचारी अिकापतकर्तियों 2003 लागू नहीं हो सकती है साथ प्रमाणक सहित है।

14/12/17
मुख्य निवचन अधिकारी
लोक सूचना अधिकारी
उत्तराखण्ड सचिवालय

मस्तूरदास सहायक मुख्य निवचन अधिकारी के पत्रांक 166 /XXV-23/2016 दिनांक 01 जनवरी 2017 के आण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 8-1-2017 पर श्री प्रहलानंद सिन्हाई कारमिण्डर के लक्ष्य साक्ष्य प्रमाण तथा राजनैतिक पक्ष के साथ साठ-गौठ होने के पश्चात श्री जॉन्स विदुआ पर मुख्य अक्षयता (विभागाध्यक्ष) लिखाई विभाग को कितने समय पर जॉन्स आख्या उचित करने हेतु कौशल डिये गये हैं तथा जॉन्स पर कितना समय निर्धारित है इसे जॉन्स के लक्ष्य साक्ष्य एवं आख्या को ध्यान धरिया सम्पूर्ण साक्ष्य सहित है।

7) नया निवचन प्रकृष्टि के पश्चात श्री प्रहलानंद सिन्हाई कारमिण्डर के प्रकृष्टि कारमिण्डर के आख्या उचित उपलब्ध है ध्यान धरिया उपलब्ध करने।

संलग्न 025-10. निवचनार्थक नकद नमा।
 दिनांक 13-01-2017

अवधी प्रमुख
 13/01/2017
 (जेठ रतनजी)
 अधीनस्थ
 SB 0-114 यमुनाकाशनी
 उदयल ।

कार्यालय अपीलीय अधिकारी सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी
कार्यालय देहरादून

अपील संख्या- 01/2017

अपीलकर्ता:- श्री जे0एन0 जोशी, S.B.C.-114, यमुना कालोनी, देहरादून।

बनाम


उत्तरदाता:- लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश

श्री जे0एन0 जोशी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें (बिन्दु संख्यां 01 से 11 तक) लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 727 दिनांक 01 फरवरी, 2017 के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी हैं।

2- लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर आवेदक श्री जे0एन0 जोशी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 13 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 1304 दिनांक 27 फरवरी, 2017 के माध्यम से सूचित करते हुए दिनांक 08 मार्च, 2017 को 11.00 बजे पूर्वान्ह सुनवाई हेतु उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था किन्तु अपीलकर्ता सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें अभिलेखों के अनुसार सही हैं। यदि आप सहमत हो तो किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली /अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।


(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

Stone

पू0संख्या 1604 /XXV-12/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री जे0एन0 जोशी, S.B.C.-114, यमुना कालोनी, देहरादून।


(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

Stone

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1304 /XXV-12 /2015

देहरादून : दिनांक 27 फरवरी, 2017

सेवा में,

श्री जे०एन० जोशी,
S.B.C.-114, यमुना कालोनी,
देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 13 फरवरी, 2017 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 08 मार्च, 2017 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह उक्त अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली /अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीय



(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी



पु०संख्या 1304 /XXV-12/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री बी०एस० रावत, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।



(मस्तू दास)

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी



सेवा में

अपील - प्रथम

विभागीय अपीलीय अधिकारी
सहायक मुख्य निबन्धन अधिकारी,
उत्तरखण्ड - 04 सुभाष रोड
सचिवालय परिहा इष्टादन।

विषय - सूचना अधिकांश अधिनियम 2005 के अर्हगत प्रथम अपील
संदर्भ :- लोक सूचना अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी श्री वी० ए० रावत का
पत्रांक सं० 727/XXV-12/2008 LP-1 दि० 01/मार्च 2017

भेदोदय

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन कर
प्रार्थी ने अपने पत्र सं०-8014/ सूचना अधिकांश दि० 23/01/17
द्वारा ॥ (ग्यारह) विदुको पर आपके लोक सूचना अधिकारी से
सूचना चाही थी, जो कि उनके द्वारा उपलब्ध करने से इनकार
कर दिया गया। जब कि वांछित सूचना के तमस्त विदु लोक सूचना
अधिकारी से सम्बन्धित है। यह भी उचित कारण है कि लोक सूचना
अधिकारी द्वारा प्रार्थी के विदु सं०-01 खब '02 का कोई संज्ञान नहीं
लिखा गया है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत करा है कि लोक सूचना
अधिकारी द्वारा अपने वांछित सूचना पत्र पर सूचना उपलब्ध न
करते हुये मुख्य अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष सिंघाई विभाग इष्टादन
का जिफू करते हुये लोक सूचना अधिकारी सिंघाई विभाग से सम्पर्क
करने हेतु लिखा गया है। जब कि सूचना अधिकांश अधिनियम
2005 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रावत (50)

लोक सूचना

अधिकारी

कृपया तत्काल

प्रस्तुत करें।

mls

13/2/17

ACED संलग्न: 4:25 PM

प्रार्थी द्वारा मांगी गई तमस्त सूचना लोक सूचना अधिकारी
निबन्धन अधिकारी के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा रही है। प्रार्थी को
अपनी सूचना से तात्पर्य है ~~सूचना~~ जांच का सूचना से कोई
को न्यत्प नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना का मुख्य
19/01/17 तिथि प्राप्त किया गया है। वांछित सूचना विदु प्रार्थी
की द्वारा उचित संलग्न है। प्रार्थी का कोई ऐसा उतप्रायित्व नहीं
कि प्रार्थी मुख्य अधिकारी सिंघाई विभाग से सम्पर्क करते कृपया
सूचना अधिकांश अधिनियम 2005 के अर्हगत निपत्तागुहा (प्रार्थी के
विदु सं० 01 है ॥ तक की सूचना प्राप्त करने का अवसर है।
संलग्न: वांछित सूचना पत्र की
द्वारा उचित।

दि० - 13-2-2017

भवदीय
S.13 E 114, यमुना कालोनी
इष्टादन।
mbn. 9411 361093

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी / ~~सूचना~~ मुख्य निवृत्त अधिकारी,
43 लुगास रोड, सचिवालय पीएल
डेह्रादून।

पत्रांक 8014 / सूचना अधिकारी दिनांक: 29/जनवरी 2017

विषय:- सूचना अधिकारी नियम 2005 के अंतर्गत सूचना

तन्दिन:- आपका पत्रांक 166/XXV/2016 दिनांक: 01 जनवरी 2017
संख्या 08 जनवरी 2017
महोदय

① सूचना जारी के पत्रांक 08 जनवरी 2017 में श्री
श्रीमान्द नौटियाल सिंघाई विभाग, कर्मचारी के विनियुक्त
साथ पर विनियुक्त की गई कार्यवाही के समस्त साक्ष्य, कायम
रिपोर्ट लहित उपलब्ध कराए।

② सूक्त पर 08 जनवरी से 11 जनवरी तक की गई
कार्यवाही के रिपोर्ट कोडों की क्षया प्रति साक्ष्य दे।

③ मुख्य अधिकारी कार्मिक अनुभाग - 2 के पत्रांक 304 दिनांक
26 दिसम्बर 2016, में उक्त कर्मि में लगभग अधिवेशन एवं जिला
कार्यवाही गहन पर तथा लुगास रोड लगाने संकेत पदाधिकारी पर
प (की) गई कार्यवाही की क्षया प्रति साक्ष्य लहित उपलब्ध कराए।

④ जिलाधिकारी/ जिला निवृत्त अधिकारी डेह्रादून का
कायम पत्रांक - 481/25-74/2014, दिनांक 04 अप्रैल 2014
प्रकार साक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात भी जारी को उचित क्रिये
गुप्ते पत्रांक 166 दिनांक 11 जनवरी 2017 के अंतर्गत आने
वाले नियम/ कोडों की क्षया प्रति समस्त साक्ष्य लहित
उपलब्ध कराए।

⑤ श्रीमान्द प्रताप अहिर के वीय महामंत्री का पत्रांक: 183
दिनांक- 18-3-2014 पत्रांक 84 दि 8-4-14 साथ ही उचित
होने तथा जिलाधिकारी का पत्रांक 742 दि 27-4-2014 एवं
जारी का पत्रांक 30-6-2016 (सूचना अधिकारी में प्राप्त समस्त
साक्ष्य लहित) उपलब्ध होने के पश्चात भी अब आपके द्वारा
कराये जा रहे जांच का आलाउम/ नियम को क्षया प्रति
उत्तराको लहित उपलब्ध कराए।

30-17

⑥ ऐसा कौन सा शासनादेश निवचन आयोग से उपलब्ध है जिसके अन्तर्गत अिकायत कर्ता द्वारा चुनना अधिकार से प्राप्त प्रमाणों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात भी कार्यवाही नहीं किया जाना है। समस्त शासनादेश/निपत्र एवं कोई धारिगृह आदेश है तो उक्त भी धारा 17(1) प्रमाणों के सहित उपलब्ध कराये।

⑦ उक्त शासनादेश/निपत्र की धारा 17(1) भी उपलब्ध कराये जिसके अन्तर्गत अिकायत कर्ता द्वारा सम्पूर्ण प्रमाणों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात भी निवचन आयोग उक्त अथवा कार्मिक पर आचार संहिता के आदेशों का अनुपालन करने में असमर्थ है। प्रमाणों एवं साक्ष्यों की प्रति सहित उपलब्ध कराये।

⑧ अिकायत कर्ता के कार्यवाही पत्र दिनांक 08 जनवरी 2017 से उक्त कार्मिक पर कर्मचारी अथवा निपत्रावली 2003 के अन्तर्गत अन्य विभिन्न आचार/निपत्रावली में उक्त-व्याप्त कार्यवाही की गई है तथा समस्त साक्ष्य प्रमाणों के सहित उपलब्ध कराये।

⑨ अिकायत कर्ता द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाणों तथा साक्ष्यों पर उक्त साक्ष्य के जांच कार्यवाही के लिए उक्त पत्रों पर प्रकाशित विन्दुओं के साक्ष्य प्रमाणों कार्यवाही तथा उक्त पत्र के आधार पर सम्बन्धित कार्मिकों पर राजनैतिक दलों को लाभ पहुँचाने वाले कार्मिकों पर की गई कार्यवाही की धारा 17(1) एवं समस्त निवचन आदेशों की धारा 17(1) साक्ष्य प्रमाणों के।

⑩ निवचन आयोग में ऐसा कौन सा शासनादेश उपलब्ध है जिसके अन्तर्गत चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाने एवं आदेश आचार संहिता पूर्ण होने के पश्चात भी राजनैतिक दलों का सहयोग करने वाले कार्मिकों पर आचार संहिता के निपत्र/आदेश लागू करने में निवचन अनुभाग असमर्थ हो उत्प्रेरक निपत्र/शासनादेशों की धारा 17(1) साक्ष्य प्रमाणों के सहित है।

⑪ कार्यवाही अिकायत पर अब और कितने कार्मिक ऐसे हैं कि अिकायत प्राप्त एवं साक्ष्य प्रमाणों उपलब्ध होने पर भी उक्त विन्दु निवचन आयोग कार्यवाही करने में असमर्थ है। सम्पूर्ण निपत्र/शासनादेश उपलब्ध कराये।

लेखक: Dr. S. S. Gulati
निपत्रावली ()

अवधीयुक्त

(जे. एन. जोशी)

(यमुना कालोनी) D. 13 C-114, यमुना कालोनी
इस्टाइन,
मो. नं. - 9411361093